राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2020 प्रार्थना पत्र अतंगर्त भू राजस्व अधि. की धारा 89(7)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम 1. बजरंगदान पुत्र भवानीदान चारण निवासी आमेसर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्टगण

प्रार्थना पत्र कार्यवाही अन्तर्गत धारा 89 एल.आर.एक्ट नियम 1956

1. श्री राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 20.06.2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 एल. आर. एक्ट नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी बजरंगदान चारण निवासी आमेसर तहसील आसीन्द द्वारा ग्राम आमेसर की आराजी नंबर 251 में 150 फीट लम्बाई व 120 फीट चौड़ाई के क्षेत्र में 40–50 फीट गहराई तक अवैध खनन कार्य किया जाकर, सोडा पत्थर निकालकर अतिक्रमण किया गया है। अतः निवेदन है कि अतिक्रमी के उक्त कृत्य के लिए नियमानुसार पैनल्टी आरोपित करने की कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं हुआ। दौराने बहस तक भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही विपक्षी की ओर से कोई जवाब पेश किया गया। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि विपक्षी ने ग्राम आमेसर की आराजी नम्बर 251 रकबा 8.87 हैक्ट. किस्म बंजड बिलानाम भूमि मे से बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध खनन साईज 150 X 120 फीट, व गहराई 30 फीट में सोडा पत्थर निकालकर अवैध खनन का कृत्य किया है। जिससे अप्रार्थी के विरूद्ध 89 एल.आर.एक्ट नियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर अप्रार्थी को दण्डित कराने की कृपा करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के परीक्षण से जाहिर आया कि तहसीलदार आसीन्द के पत्रांक/123 दिनांक 11.08.2020 अनुसार प्रश्नगत आराजी से सोडा पत्थर

अति. जिला कलक्टर

निकाला जाना वर्णित किया हैं।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के पत्रांक/रीडर/2019/1474 दिनांक 10.12.2019 से श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को मान. संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर के प्रासंगिक पत्र के क्रम में रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिस अनुसार ग्राम आमेसर के आराजी संख्या 251 रकबा 8.87 हैक्ट. भूमि किस्म बंजड़ बिलानाम दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें अवैध खननकर्ता बजरंगदान चारण निवासी आमेसर द्वारा अवैध खनन कार्य करना पाया गया हैं। आराजी संख्या 251 रकबा 8.87 हैक्ट. में लम्बाई 150 फीट एवं चौड़ाई 120 फीट व गहराई 30 फीट गहरा खनन कार्य किया हुआ हैं।

अतः उक्त प्रकरण में तहसीलदार आसीन्द को निर्देशित किया जाना उचित ठहरता हैं कि प्रश्नगत आराजियात में से मौके पर अब तक कितना टन सोडा पत्थर निकाला गया ? इसकी सम्पूर्ण जांच कर, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (7) के तहत 50/-रू. प्रति टन के हिसाब से गणना की जाकर अवैध खननकर्ता बजरंगदान चारण निवासी आमेसर पर शास्ति राशि आरोपित करते हुये, अवैध खनन के दण्डस्वरूप वसूल की जाकर राशि राजकोष में जमा करायी जाये। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित ठहरता हैं। अतएव-

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। आसीन्द को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रश्नगत आराजियात में से मौके पर अब तक कितना टन सोडा पत्थर निकाला गया ? इसकी सम्पूर्ण जांच कर, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (7) के तहत 50/-रू. प्रति टन के हिसाब से गणना की जाकर अवैध खननकर्ता बजरंगदान चारण निवासी आमेसर पर शास्ति राशि आरोपित करते हुये, अवैध खनन के दण्डस्वरूप वसूल की जाकर राशि राजकोष में जमा करायी जाये। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा